राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 364 / 2022

GCMS No. 2022/681

मंगेजाराम पुत्र गुटा राम जाति मेघवाल उम्र 64 वर्ष निवासी चूली की ढाणी तन् दडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: **दिनांक :–16–12–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 198 के खसरा नंबर 768 रकबा 1.05 है. व खाता सं. 619 के खसरा नंबर 785 रकबा 1.71 है. का प्रार्थी व प्रार्थी की माता संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार वाके ग्राम शिवनगर स्थित जमाबन्दी सवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 43 के खसरा नंबर 199 रकबा 2.06 है., ख.नं. 419 रकबा 3.44 है. कुल किता 2 कुल रकबा 5.50 है. का प्रार्थी व प्रार्थी की माता संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की माता का देहान्त दिनांक 11.03.2016 को हो चुका है लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अभी भी प्रार्थी की माता के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी की माता का नाम गलत रूप से "सुवा पत्नी गुटिया" दर्ज है जो गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी की माता का सही व वास्तविक नाम "सुवटी पत्नी गुटा राम" है जो उनके अन्य सभी लोक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। इसप्रकार प्रार्थी की माता का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 198 के खसरा नंबर 768 रकबा 1.05 है. व खाता सं. 619 के खसरा नंबर 785 रकबा 1.71 है. में तथा वाके ग्राम शिवनगर स्थित जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता सं. 43 के खसरा नंबर 199 रकबा 2.06 है., ख.नं. 419 रकबा 3.44 है. कुल किता 2 [illegible] रकबा 5.50 है. में प्रार्थी की माता का नाम "सुवा पत्नी गुटिया" के स्थान पर "सुवटी पत्नी गुटा राम [illegible] कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान [illegible]

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] किया [illegible]। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

BAR ASSOCIATION KHETRI

राजस्व / 2022 / 1932 दिनांक 30.11.2022 से पटवारी, पटवार मण्डल बड़ाऊ की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट अनुशंषा सहित भिजवाई है जो निम्नानुसार है :–

1. राजस्व ग्राम बड़ाऊ के खाता सं. 198 में सुवादेवी पत्नी गुट्टूराम व खाता सं. 619 में सुवा पत्नी स्व. गुटिया एवं राजस्व ग्राम शिवनगर के खाता सं. 43 में सुवा पत्नी गुटिया दर्ज राजरव रिकार्ड है।
2. प्रार्थी के माता का नाम जमाबन्दी में विरासत के नामांतरण द्वारा आया है।
3. ग्राम में मौजीज व्यक्तियों से पुछताछ करने पर बताया कि सुवा देवी पत्नी गुटिया व सुवटी पत्नी गुटाराम एक ही महिला का नाम है।
4. अतः राजस्व ग्राम बड़ाऊ के खाता सं. 198, 619 व ग्राम शिवनगर के खाता सं. 43 में सुवटी पत्नी गुटाराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 198, खाता सं. 619 ग्राम बड़ाऊ जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 43 ग्राम शिवनगर, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सुवटी देवी का पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का बड़ाऊ की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान में दर्ज प्रविष्ठियों को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.स.	राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
1	बडाऊ (संवत् 2073–2076)	198	सुवादेवी पत्नी गुटुराम	सुवटी पत्नी गुटाराम
2	बड़ाऊ (संवत् 2073–2076)	619	सुवा पत्नी गुटिया	सुवटी पत्नी गुटाराम
3	शिवनगर (संवत् 2076–2079)	43	सुवा पत्नी गुटिया	सुवटी पत्नी गुटाराम

उपरोक्त राजस्व ग्राम की जमाबन्दीयों में शुद्ध की गई प्रविष्टियों के अलावा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। इसके अतिरिक्त मृतक खातेदार सुवटी पत्नी गुटाराम की वसीयत दर्ज करने की कार्यवाही तहसीलदार, खेतड़ी नियमानुसार जांचकर पूर्ण करेंगे। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतडी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner